

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

गीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 205/2021

निर्णय दिनांक :- 07/12/21

उनवानी

ग्राम पंचायत भालोठ

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

.....प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक

-:निर्णय:-

वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में आज तारीख 07/12/21 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.62 है. गै.मु. जोहड़ 0.41 है., बजड़ 0.21 है. भूमि का नजरी नक्शा (प्रदर्श-अ) के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07-12-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प बुहाना के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)

